

7/05/24

की प्रकृति का प्रकृति
पत्रावली पेश हुई उच्चपदा हाजिर नहीं की
है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन
किये जाने पर प्रतीत होता है कि प्रकरण
अनावश्यक रूप से वर्षों से लम्बित है।
अतः प्रकरण चलने योग्य प्रतीत नहीं होता
है। अतः प्रकरण अदम हाजरी व अदम
पैरवी में अन्तर्गत 09, R-3 जा. सी. के
तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली में
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कामम मुकामात
अन्तर्गत 0-9, R-3 CPC के तहत खारिज
किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शमार होना
बाद तारुमील दारखिल दफ्तर हो। निर्णय
खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जुमलानंद अधिकारी
सिपाही लेक

